

7/7/23 पत्राकली पेश हुई। वादी व वकील वादी
अनुपस्थित। वार? आजकाल दिलवासी जाने
के उपरान्त भी वादी की ओर से कोई उपधि
नहीं। अतः वादी का वादपत्र अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्राक
कैलल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ
दाखिल हों।



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)